

31/12/19

पत्रावली पेश हुई। अधिकृत उभयपक्षों।
अधिकृत उभयपक्ष ने रिज्यू पत्रावली-पत्र
को स्वीकार कर मूल मपीत को पुनः
नम्बर पर लेन की सहमति जारी
की। अतः उभयपक्षकारण की सहमति
मुताबिक रिज्यू पत्रावली-पत्र स्वीकार
किया जाता है तथा मूल मपीत में
10/2011 में पारित आदेश दिनांक 16/06/2011
की अपील करने के आदेश दिए जाते
हैं। मूल मपीत पत्रावली तलब कर
नये नम्बर पर दर्ज के आदेश
दिए जाते हैं। पत्रावली के मूल नुमा
नम्बर से कम होकर बाद तकमिल
दाखिल इफ्तार हो। आदेश से इजलास
खुनाया गया।

दिनांक

31/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
- बाड़मेर